<u>न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला</u> <u>जिला बैतूल</u>

<u>दांडिक प्रकरण क :- 49 / 11</u> <u>संस्थापन दिनांक:--09 / 03 / 11</u> फाईलिंग<u>नं. 233504000452011</u>

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला, जिला—बैतूल (म.प्र.)

..... अभियोजन

वि रू द्व

कृष्णा पिता ओमकार मेहरा, उम्र 24 वर्ष, निवासी रानीडोंगरी, थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)

.....अभियुक्त

<u>-: (नि र्ण य) :-</u>

(आज दिनांक 24.12.2016 को घोषित)

- 1 प्रकरण में अभियुक्त के विरूद्ध धारा 354 भा0दं0सं0 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 02.03.2011 को शाम 06:30 बजे ग्राम रानीडोंगरी में फरियादी कमलवती जो कि एक महिला है, की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया।
- अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि फरियादी दिनांक 02.03.2011 को शाम करीब 6 बजे उसके घर पर अकेली थी तभी अभियुक्त कृष्णा आया और उससे उसके माता पिता के बारे में पूछा जिस पर उसने कहा कि उसकी मम्मी घर पर नहीं है। जिस पर अभियुक्त कृष्णा उसे अकेली पाकर उसकी छाती दबाने लगा। फरियादी द्वारा चिल्लाने पर उसकी मम्मी वहां आयी जिन्हें देखकर कृष्णा वहां से भाग गया। इसके पश्चात फरियादी तथा उसकी मां कृष्णा के घर पहुंचे उसकी मां ने कृष्णा से कहा कि तूने ऐसा क्यों किया तो अभियुक्त ने कुछ नहीं कहा तभी उसी समय अभियुक्त सुरेश एवं फरियादी के दादा गोरेलाल आये जिन्होंने भी अभियुक्त को समझाया। जिसके पश्चात अभियुक्तगण कृष्णा, कल्लो और सुरेश ने फरियादी के दादा, चाचा के साथ मारपीट किये। अभियुक्त कल्लो ने उसकी चाची प्रमिला को लकड़ी से मारा। अभियुक्तगण ने रिपोर्ट करने पर उन्हें जान से खत्म करने की धमकी दी। फरियादी की रिपोर्ट के आधार पर थाना आमला में अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध क. 50 / 11 पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आहतगण का चिकित्सकीय परीक्षण करवाया गया। मौका नक्शा बनाया गया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

- 3 प्रकरण में फरियादी का अभियुक्त से राजीनामा हो जाने के परिणामस्वरूप अभियुक्तगण ओमकार, रूक्खन एवं कल्लोबाई को धारा 323/34, 506 भाग—दो भा.द.सं के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया गया किन्तु अभियुक्त कृष्णा के विरूद्ध लगे धारा 354 भा0दं०सं० का आरोप अशमनीय होने से अभियुक्त का विचारण किया गया।
- 4 अभियुक्त द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं—1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया। अभियुक्त कथन योग्य साक्ष्य अभिलेख पर नहीं होने से धारा—313 दं0प्र0सं0 के अंतर्गत अभियुक्त कथन अंकित नहीं किये गये मात्र मौखिक परीक्षण किया गया जिसमें उसका कहना है कि वह निर्दोष है उसे झूठा फंसाया गया है।

5 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :--

"क्या अभियुक्त ने दिनांक 02.03.2011 को शाम 06:30 बजे ग्राम रानीडोंगरी में फरियादी कमलवती जो कि एक महिला है, की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया ?"

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

- 6 कमलवती (अ.सा.—2) ने अपने मुख्य परीक्षण में यह प्रकट किया है कि घटना के समय वह अपने घर पर अकेली थी तभी आरोपी आया उसने पूछा कि माँ कहा है तो उसने कहा कि माँ बाहर गई हुई है इसी साक्षी ने आगे यह प्रकट किया गया कि अभियुक्त उसे अकेला पाकर पुरानी बात से गाली गलौच करने लगा । उपर्युक्त साक्षी के द्वारा अभियोजन का समर्थन न किये जाने से अभियोजन द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने पर साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया कि अभियुक्त कृष्णा ने उसे घर पर अकेली पाकर छेडछाड किया था । गोरेलाल असा—1 के द्वारा अभियोजन का कोई समर्थन नहीं किया हैं।
- 7 अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्य से अभियुक्त कृष्णा द्वारा फरियादी कमलवती के साथ गंदी गाली गलौच किया जाना प्रमाणित होता है जिसके संबंध में अभियुक्त को राजीनामा आवेदन स्वीकार कर दोषमुक्त किया जा चुका है। अभियुक्त कृष्णा द्वारा फरियादी कमलवती की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया गया हो ऐसा उपलब्ध साक्ष्य से प्रकट नहीं होता है। ऐसी दशा में साक्ष्य के नितांत अभाव में अभियुक्त द्वारा धारा 354 भा.दं.सं. का अपराध कारित किया जाना प्रमाणित नहीं माना जा सकता।
 - फलतः युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित नहीं होता है कि घटना

दिनांक, समय व स्थान पर अभियुक्त ने फरियादी कमलवती जो कि एक महिला है, की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर आपराधिक बल का प्रयोग किया। निष्कर्षतः अभियुक्त कृष्णा को धारा 354 भा.दं.सं. के अधीन दंडनीय अपराध से दोषमुक्त किया जाता है।

- अभियुक्त पूर्व से जमानत पर है। अभियुक्त द्वारा न्यायालय में उपस्थिति बावत् प्रस्तुत जमानत व मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- अभियुक्त द्वारा अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभिरक्षा में बिताई गई अवधि के संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी आमला, बैतूल (म.प्र.)